भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 085
दिनांक 5 फरवरी, 2026

पेट्रोलियम रिसाव के कारण पेयजल का संदूषित होना

†*85. **श्री के. सुधाकरनः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल के कन्नूर जिले के अंतर्गत पल्लीकुन्नू में व्याप्त गंभीर पर्यावरणीय और जन स्वास्थ्य संकट का संज्ञान लिया है, जहां इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के एक खुदरा बिक्री केन्द्र से संदिग्ध रिसाव के कारण पेयजल के कुएं खनिज तेल से संदूषित हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आईओसीएल द्वारा इस रिसाव के स्रोत का पता लगाने के लिए अपने भूमिगत भंडारण टैंकों और संबंधित अवसंरचना की सुदृढ़ता का परीक्षण करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा प्रभावित कुओं को संदूषण रहित करने और घनी आबादी वाले क्षेत्र के निवासियों को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए तात्कालिक उपचारात्मक उपायों और दीर्घकालिक पुनरुद्धार योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पर्यावरण संबंधी उक्त लापरवाही के लिए जवाबदेही तय करने और आवासीय क्षेत्रों के जल स्रोतों के निकट स्थित पेट्रोलियम बिक्री केंद्रों के संचालन के लिए नए निवारक नयाचार निर्धारित करने का है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'पेट्रोलियम रिसाव के कारण पेयजल का संदूषित होना' के संबंध में संसद सदस्य श्री के. सुधाकरन द्वारा दिनांक 05.02.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 85 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने सूचित किया है कि उसे दिनाँक 14.12.2025 को कन्नूर केंद्रीय कारागार एवं सुधार गृह द्वारा संचालित एक खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) से पानी के चार कुओं में खनिज तेल के संदूषण के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। ये कुएँ केरल के कन्नूर जिले के पल्लिकुन्नू में आरओ से लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनाँक 30.12.2025 को किए गए परीक्षणों की रिपोर्ट में उक्त कुओं में हाइड्रोकार्बन (पेट्रोल और डीजल) के अंशों की उपस्थिति का संकेत मिला है।

उक्त शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, दिनाँक 16.12.2025 को हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) उत्पाद पाइपलाइन का हाइड्रो परीक्षण किया गया और कोई रिसाव नहीं पाया गया। इसके बाद, दिनाँक 18.12.2025 को मोटर स्पिरिट (एमएस)/पेट्रोल पाइपलाइन का हाइड्रो परीक्षण किया गया, जिसके दौरान दबाव में कमी/पिन-होल रिसाव का पता चला। प्रभावित पेट्रोल पाइपलाइन से जुड़े वितरण इकाइयों से पेट्रोल की बिक्री तुरंत रोक दी गई। प्रभावित पाइपलाइन सहित एमएस और एचएसडी की सभी उत्पाद पाइपलाइनों को दिनाँक 21.12.2025 तक बदल दिया गया। एमएस की बिक्री दिनाँक 23.12.2025 को पुनः शुरू हुई।

तत्पश्चात केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के आधार पर दिनाँक 21.01.2026 को एमएस और एचएसडी दोनों की बिक्री निलंबित कर दी गई। इसके अलावा, पीईएसओ द्वारा प्राधिकृत सक्षम व्यक्ति, केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों, जेल अधीक्षक और प्रभावित निवासियों के प्रतिनिधियों की देखरेख में सभी भूमिगत उत्पाद भंडारण टैंकों का हाइड्रो परीक्षण किया गया। किसी भी भंडारण टैंक में रिसाव नहीं पाया गया।

केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईओसीएल को निर्देश दिया है कि भूमिगत भंडारण टैंकों के चारों ओर दोहरी दीवारों वाले टैंक या कंक्रीट की सुरक्षात्मक दीवारें बनाकर द्वितीयक रोकथाम की व्यवस्था की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इकाई को दोबारा चालू करने से पहले बिक्री केन्द्र द्वारा सभी सुरक्षा और पर्यावरणीय शर्तों को पूरा किया गया है। आईओसीएल ने भंडारण टैंकों के चारों ओर कंक्रीट की दीवार बनाने और दूषित पानी के कुओं की फ्लशिंग के लिए आवश्यक कदम उठा लिए हैं। आईओसीएल ने प्रभावित परिवारों को नए जल भंडारण टैंक, पाइपलाइन कनेक्शन और पैकेज्ड पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित की है।

इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए निवारक प्रोटोकॉल पहले से ही लागू हैं। नए खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना के लिए, पेट्रोलियम नियम 2002 के नियम 144 के तहत ओएमसी खुदरा बिक्री केन्द्र के प्रस्तावित लेआउट के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी (डीएम) को आवेदन करती हैं। राजस्व, पुलिस, अग्निशमन, पीडब्लूडी, प्रदूषण, स्थानीय विकास निकाय आदि विभिन्न विभागों से परामर्श करने के बाद डीएम एनओसी जारी करते हैं। इसके साथ ही, निर्माण अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उसी आरओ लेआउट ड्राइंग को पीईएसओ को भी प्रस्तुत किया जाता है। आवश्यक विवरण/लेआउट के साथ लोकेशन के आधार पर एनएचएआई से एनओसी तथा एक्सेस की अनुमति ली जाती है। आरओ का निर्माण पूरा होने के बाद, आरओ चालू करने के लिए आवश्यक अंतिम लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पीईएसओ को आवेदन किया जाता है। आवासीय जल निकायों के निकट स्थित बिक्री केन्द्रों के संबंध में, आरओ चालू करने से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के लागू दिशानिर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है। संदर्भित खुदरा बिक्री केन्द्र को अनुमन्य प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही चालू किया गया था।

इस घटना में जवाबदेही तय करने के संबंध में आईओसीएल ने डीलरशिप अर्थात् केंद्रीय कारागार एवं सुधार गृह, कन्नूर, केरल सरकार को नियमित रूप से दैनिक स्टॉक का मिलान न करने और स्टॉक में असामान्य बदलाव की सूचना न देने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।
